न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर०ए०एस० अति० संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 213/2024/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड़
दायरा दिनांकः 29.08.2024
अन्तर्गत धाराः 75 राज०भू राजस्व अधि०, 1956

उनवान

नन्दराम आत्मज कन्हैयालाल चमार निवासी मिश्रोली, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड़

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री असलम अंसारी, श्री पूरीलाल राठौड़, अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो०

::निर्णय::

दिनांक 30.07.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़ द्वारा प्रकरण सं० 164/अपील/2011 बउनवान राजस्थान सरकार बनाम नन्दराम में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2013 के विरूद्ध प्रथम अपील राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार पचपहाड़ के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 की धारा 14(4) अन्तर्गत पेश किया गया कि ग्राम मिश्रोली में आराजी खसरा सं० 2553 रकबा 2.12 बीघा आराजी का आवंटन दिनांक 08.02.1983 को नन्दराम के हक में किया गया था। जिसका नामांतरकरण संख्या 958 दिनांक 08.02.1983 को गैर खातेदारी में दर्ज किया गया। परन्तु आवंटी के द्वारा उक्त आवंटित आराजी पर बाद आवंटन शर्तों के अनुसार काश्त नहीं की और ना ही मौके पर आवंटी का कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किये जाने से प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी को किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जावे।

30-7-2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

2. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़ के द्वारा प्रकरण में आवंटन शर्तों की पालना नहीं किया जाना मानते हुए उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी/अपीलार्थी के हक में किया गया ग्राम मिश्रौली की आराजी खसरा सं0 2553 रकबा 2.12 बीघा का आवंटन दिनांक 08.02.1983 को निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 05.02.2013 पारित किया गया।

3. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़ के निर्णय दिनांक 05.02.2013 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस तथ्य की ओर गौर नहीं किया कि खातेदारी में आने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान ही उपयोग में आते है न कि भू राजस्व अधिनियम के अपीलीय प्रावधान। आवंटन होने के उपरान्त 10 वर्ष के अन्दर–अन्दर खातेदारी अधिकार नही दिए जाने की स्थिति में खातेदारी अधिकार प्राप्त होने की विधि उपधारणा होती है। विचारण न्यायालय में उक्त आंवटन को 29 वर्ष उपरान्त चुनौती दी गई तथा मियाद के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नही दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा आंवटन सलाहकार समिति की पत्रावली को तलब किए बिना आदेश पारित किया है, इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा तात्विक अनियमितता से निर्णय पारित किया हैं। विचारण न्यायालय द्वारा भूमि के भौतिक कब्जे के बारे में कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट नही ली गई और न ही अपीलार्थी को कब्जे की रिपोर्ट के समय सूचित किया गया। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र रिक्त स्थान की पूर्ति करके निर्मित किया गया है। प्रार्थना–पत्र तैयार करते समय न्यायिक प्रक्रियाओं की पालना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट तत्समय अर्थात् आवंटन के 10 वर्षों के अन्दर नहीं ली गई तथा उपलब्ध रिपोर्ट दिनाक 18.4.11 की है, जो यह नहीं बता सकती है कि आवंटी ने आवंटन होने के तीन वर्ष के अन्दर व 10 वर्ष के अन्दर आवंटन नियमों की पालना नही की। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.02.2013 अपास्त किया जावे।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपने पक्ष के समर्थन में लिखित बहस पेश कर कथन किया कि खातेदारी में आने पर राजस्थान काश्तकारी 1955 के प्रावधान के उपयोग में आते है ना कि भू–राजस्व अधिनियम के अपीलीय प्रावधान। आवंटन होने के उपरान्त 10 वर्ष के अन्दर–अन्दर खाते के अधिकार नही दिये जाने की स्थिति में खातेदार अधिकार की उपधारणा होती है। अपीलार्थी के आवंटन को विचारणीय न्यायालय में 29 वर्ष उपरान्त चुनोती दी गई है तथा मियाद के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नही दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की पत्रावली को तलब किये बिना आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार विचारणीय न्यायालय द्वारा तात्विक अनियमित्ता से निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि के भौतिक कब्जे के बारे में कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट स्वतंत्र संस्था से नही ली गई, ना ही अपीलार्थी को कब्जे की रिपोर्ट के समय सूचित किया गया, ना ही उसकी उपस्थिति में कब्जे की रिपोर्ट ही बनाई गई। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिक्त स्थान की पूर्ति करके निर्मित किया गया है। उपलब्ध रिपोर्ट तत्समय अर्थात आवटन के 10 वर्षों के अन्दर नही ली गई, प्रस्तुत रिपोर्ट दिनाक 18.04.2011 की है, जो यह नहीं बता सकती है कि आवंटी ने आवंटन होने के तीन वर्ष के अन्दर व 10 वर्ष के अन्दर आवटन नियमों की पालना नही की। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी सुनवाई के समय उपस्थित नही था इस पर अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 20 नियम 5 क के अनुसार एकपक्षीय निर्णय पारित करने की सूचना देना आज्ञापक प्रावधान है, किन्तु उक्त पालना. नही किए जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय की प्रति लेने का आवेदन दिया जिसकी प्रति दिनाक 06.10.2021 को मिलने पर अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस नकल, खसरा, गिरदावरी 1963 से 66 तक की प्रस्तुत की गई है, उक्त खसरा नम्बर की गिरदावरी में संवत् 2065 में नन्दलाल के द्वारा सोयाबीन पैदा करने का उल्लेख किया हुआ है, जो संलग्न दस्तावेज है व माननीय न्यायालय द्वारा ही अपील क्रमाक 11/2020 रामा बनाम राजस्थान राज्य की अपील निर्णय में भी अपील स्वीकार की गई है। जिसकी निर्णय प्रति प्रस्तुत है व राजस्थान उच्च न्यायालय की नजीर शिवराम बनाग राजस्थान स्टेट आर०आर०टी० 2016 (1) पेंज 651 में भी आवंटी के पक्ष में निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 05.02.2013 को अपास्त कर अपीलांट का आवंटन बहाल किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

6. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया गया।

30-7-2025
रा. सं. आयुक्त
कोटा

7. अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ शपथ पत्र पेश कर अपील को अवधि मध्य मानी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर पेश किया गया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि आवंटी/अपीलार्थी को ग्राम मिश्रोली की खसरा सं0 2553 रकबा 2.12 बीघा आराजी का दिनांक 08.02.1983 को आवंटन किया गया। जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार पचपहाड़ के द्वारा प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 की धारा 14(4) अन्तर्गत पेश किया गया कि अपीलार्थी/आवंटी के द्वारा उक्त आवंटित आराजी पर बाद आवंटन शर्तों के अनुसार काश्त नहीं की और ना ही मौके पर आवंटी का कब्जा चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़ के द्वारा प्रकरण में आवंटन शर्तों की पालना नहीं किया जाना मानते हुए निर्णय दिनांक 05.02.2013 से अपीलार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी का तर्क रहा है कि आवंटन के 29 वर्ष के पश्चात् कब्जे के आधार पर आवंटन शर्तों का उल्लंघन होना मानते हुए अपीलार्थी का आवंटन निरस्त किया गया, जबकि शर्तों के अनुसार 10 वर्ष में खातेदारी दिये जाने के प्रावधान हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत आराजी पर भौतिक कब्जे के संबंध में मौके की रिपोर्ट नहीं ली गई। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरी सम्वत् 2044–2047 एवं खसरा गिरदावरी सम्वत् 2063–2066 अनुसार उक्त आराजी पड़त होना प्रकट होता है। साथ ही मौका रिपोर्ट पटवारी दिनांक 18.04.2011 अनुसार उक्त आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा नहीं होना तथा मौके पर उक्त आराजी कृषि योग्य नहीं होना जाहिर किया गया है। इससे प्रकट होता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत आराजी पर काश्त नहीं की गई है और न ही आवंटित आराजी पर कब्जा साबित होता हैं। अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में न्यायालय हाजा के समक्ष भी ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज अथवा खसरा गिरदवारी पेश नहीं किये गये जिससे कब्जा साबित होता हो। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा के प्रकरण संख्या 11/2020 बउनवान रामा बनाम राजस्थान सरकार वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 09.11.2020 का न्यायिक उद्वरण पेश किया गया। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा

30-7-2025
सं. आयुक्त
कोटा

के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.11.2022 का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि उक्त निर्णय में विवेचन किया गया है कि "गिरदवारी सम्वत् 2035–2038, सम्वत् 2047–2050, सम्वत् 2051 तथा सम्वत् 2055–2058 से लगातार आवंटी का कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है"। न्यायालय हाजा में अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी का कब्जा काश्त साबित नहीं होने से माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.11.2020 इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होता हैं। इस प्रकार आवंटित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन होना मानते हुए अपीलार्थी को ग्राम मिश्रोली की आराजी खसरा सं0 2553 रकबा 2.12 बीघा आराजी का किया गया आवंटन दिनांक 08.02.1983 निर्णय दिनांक 05.02.2013 से निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

30-7-2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा